Office : 0291-2545066
Secy. : 0291-2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS,
JODHPUR – 342 001
e-mail : secretary@ barcouncilofrajasthan.org
Web Site : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No BCR/9799 **Date : 16-12-2010**

प्रेस विज्ञप्ति

बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक आज रविवार दिनांक 16.12.2012 को जोधपुर में श्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक मे बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष श्री रोशन सिंह राठौड सहित कुल 20 सदस्यों ने भाग लिया ।

साधारण सभा ने दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 को जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (All India Bar Examination) में हुई अव्यवस्थाओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कर सर्वसम्मति से अपने पारित पुराने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निर्णय लिया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान उक्त परीक्षा का पुरजोर से पुनः विरोध करती हैं, तथा जिस प्रकार से यह परीक्षा आयोजित की जा रही हैं उसके तौर तरीके का भी विरोध करती हैं क्योकि एल एल. बी. करने के पश्चात्त इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं तथा बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा इस परीक्षा को न्यायालय में भी चुनौती दी जाएगी । बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से यह मॉग भी की गई हैं कि जयपुर में दिनांक 09 दिसम्बर, 2012 की परीक्षा को निरस्त किया गया था वह परीक्षा पुनः एक माह के भीतर आयोजित की जावें । तथा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थीयों का परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किया जावें । बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 09 दिसम्बर, 2012 को परीक्षा में हुई अव्यवस्थाओं की जॉच हेतु बार कौंसिल के सदस्यगण सर्वश्री जगमाल सिंह चौधरी, अशोक मेहता एवं सत्येन्द्र कुमार गुप्ता की एक समिति का गठन किया गया था, उनसे अनुरोध किया गया वे अपनी जॉच रिपोर्ट शीध्र ही प्रस्तुत करें जिससे इस बारे में बार कौंसिल की आगामी साधारण सभा में उचित निर्णय लिया जा सकें ।

बार कौंसिल की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार से यह मॉग की गई हैं कि राजस्थान न्यायिक सेवा, सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी एवं विधि सहायक पदों की भर्ती हेतु आयोजित प्रतियागी परीक्षाओं में आवेदकों की निर्धारित आयु सीमा को 35 वर्ष से बढाकर 40 से 45 वर्ष तक करने का अनुरोध किया जावें ।

बार कौंसिल की साधारण सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से यह मॉग की हैं कि एडवोकेटस को टोल टेक्स देने से मुक्त रखा जावें तथा बार कौंसिल के सदस्यों को रियायती दरों पर राज्य में स्थित सर्किट हाउस एवं डाक बंगलों में ठहरने की अनुमति प्रदान की जावें ।

बार कौंसिल की साधारण सभा द्वारा जैसलमेर के श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ निरन्तर किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं कार्यप्रणाली के सम्बंध में बार ऐसोसिएशन, जैसलमेर द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 से न्यायिक कार्यों के अनिश्चित कालीन बहिष्कार एवं इस संदर्भ में बार ऐसोसिएशन, जैसलमेर से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर इस हेतु बार कौंसिल के सदस्यगण सर्वश्री जगमाल सिंह चौधरी, सुरेश चन्द्र श्रीमाली एवं राजेश पॅवार की एक समिति का गठन किया गया । यह समिति शीघ्र ही तथ्यों की जॉच कर अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी ।

बार कौंसिल की साधारण सभा द्वारा 'Renewal of Certificate of Practice Rules, 2006' के अर्न्तगत पंजीयन के नवीनीकरण की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2012 से बढाकर दिनांक 30 जून, 2013 तक कर दी गई हैं । इसी तरह से जिन सदस्यों ने अपनी वार्षिक चन्दा राशि नियमित रूप से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा नहीं करवाई थी एवं इस कारण जिनकी सदस्यता कोष से समाप्त कर दी गई थी ऐसे सदस्यों की कोष में पुनः सदस्यता बहाल करने हेतु पुर्व में बार कौंसिल ने उन्हें एक और अवसर प्रदान करते हुए राशि जमा करवाने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक नियत की गई थी उसे भी बढाकर अब इसकी अन्तिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2013 तक कर दी गई हैं ।

Office : 0291-2545066
Secy. : 0291-2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS,
JODHPUR – 342 001
e-mail : secretary@ barcouncilofrajasthan.org
Web Site : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No BCR/9799 **Date : 16-12-2010**

बार कौंसिल की साधारण सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के समाचार पत्रों में प्रकाशन में आदेश पारित करने वाले माननीय न्यायाधीश एवं अधिवक्ता के नाम का प्रकाशन नहीं किया जावें । इस हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया । साथ ही साथ प्रस्ताव की एक प्रति प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया को दी जाकर अनुरोध किया जावें कि वह ऐसे नामों का प्रकाशन ना करें ।

बार कौंसिल की साधारण सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया हैं कि अगर चलते हुए मुकदमें में किसी ऐसे अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जाता हैं जिसका कि उस बेंच में पहले से ही exception हैं तो उस मुकदमें से सम्बंधित पत्रावली माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित की जानी चाहिए तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार ही दूसरी बेंच में स्थानान्तरित की जानी चाहिए और अगर दूसरी बेंच में स्थानान्तरण करवाने वाला अधिवक्ता स्वंय बहस नहीं करता हैं और कोई अन्य अधिवक्ता बहस करता हैं तो वह वापिस उसी बेंच द्वारा सुना जावें जहॉ से कि वह exception किया गया हैं एवं ऐसे अधिवक्ता का कृत्य व्यावसायिक दुराचरण की श्रेणी में माना जावें । इस हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया ।

बार कौंसिल द्वारा जयपुर, जोधपुर एवं राज्य के अन्य बडे शहरों में स्थित प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में अधिवक्ताओं एवं उनके आश्रितों के रियायती दरों पर ईलाज हेतु उचित प्रयास किया जा रहा हैं ।

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 11 सदस्यों की एक 'Advocates Grievances Redressal and Anti Corruption Committee' का गठन किया गया हैं जो कि भ्रष्टाचार से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों पर उचित जॉच कर अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगी । इसी तरह राज्य सरकार से अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं एवं मॉगों हेतु बार कौंसिल द्वारा 16 सदस्यों की एक 'Government Co-ordination Committee' का भी गठन किया गया हैं जो समय समय पर अपनी बैठक आयोजित कर अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं मॉगों के बारे में मसौदे तैयार कर उन्हें राज्य सरकार से मिलकर शीध्र हल करवाने का प्रयास करेगी ।

साधारण सभा में अधिवक्ताओं के विरूद्व व्यावसायिक दुराचरण बाबत प्राप्त शिकायतों पर भी विचार विमर्श कर उनका निस्तारण किया गया ।

- Sd -
राजेन्द्र पाल मलिक
सचिव
बॉर कौंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर

श्रीमान सम्पादक महोदय
.....

वास्ते सभी संस्करणों में सादर प्रकाशनार्थ